न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2024/64

1. बनवारी लाल पुत्र मिश्री लाल जाति महाजन निवासी मण्डावर तहसील मण्डावर जिला दौसा राजस्थान।

—अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मण्डावर जिला, जिला दौसा।
2. नायब तहसीलदार मण्डावर, तहसील मण्डावर जिला दौसा।

—रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध नायब तहसीलदार मण्डावर जिला दौसा निर्णय दिनांक 06.10.2017 अपील संख्या 34/2017 बउनवानी सरकार बनाम ——— व निर्णय जिला कलेक्टर दौसा निर्णय दिनांक 22.05.2024 प्रकरण संख्या 142/2017 उनवानी बनवारी लाल बनाम राजस्थान सरकार में पारित किये गये हैं।

उपस्थित :—

1. श्री अशोक कुमार अवस्थी वकील अपीलान्ट उपस्थित।
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. नं. 1 व 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक—15.04.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 22.05.2024 एवं नायब तहसीलदार मण्डावर जिला दौसा के निर्णय दिनांक 06.10.2017 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मंडावर, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 06.10.2017 द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध संवत 2074 में वाके ग्राम मंडावर तहसील मंडावर जिला दौसा की आराजी खसरा नम्बर 1614/1921 रकबा 37.509 वर्गफीट पी.डब्ल्यू.डी. की भूमि पर अतिक्रमण करने पर अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा भू राजस्व लगान दर 0.44 का 50 गुणा 22.10 रूपये पैनल्टी राशि के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा के यहां पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर उप तहसीलदार मंडावर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.10.2017 यथावत रखे जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.05.2024 पारित किया गया है।

3. उप तहसीलदार मंडावर के निर्णय दिनांक 06.10.2017 तथा जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 22.05.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उप तहसीलदार मंडावर दिनांक 06.10.2017 एवं जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 22.05.2024 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

5. अपीलान्ट की अपील मीमों में अंकित तथ्यों में मुख्य रूप से अंकित किया गया है कि दिनांक 08.09.2017 को नायब तहसीलदार मण्डावर द्वारा अपीलांट को नोटिस देना बताया जिसमें खसरा नम्बर 1416/2021 रकबा 37.50 वर्ग फिट फसल रबी /खरीफ में अतिचार कर ज़िंस काश्त की है जिसमें 50 गुणा शास्ती एवं फसल जब्ती तक के निर्णय से दण्डित किया जाता है जबकि 06.10.2017 के निर्णय में पीडब्ल्यूडी की भूमि में पक्का निमार्ण करना बताया अर्थात नोटिस दिनांक 08.09.17 व

निर्णय दिनांक 06.10.2017 में भारी विरोधाभास है। नोटिस में उल्लेखित कथन व निर्णय में वर्णित कथन सटीक तथ्यों पर आधारित नहीं है। नायब तहसीलदार द्वारा जारी नोटिस दिनांक 08.09.2017 में क्रमांक नम्बर अंकित नहीं है, तथा अपीलांट को नोटिस प्राप्ति का प्रमाण, तामिल कुनंन्दा रिपोर्ट या अपीलांट के हस्ताक्षर नोटिस प्राप्ति पर नहीं है इसी क्रम में दिनांक 15.09.2017 सुनवाई तारीख की ऑडर सीट उल्लेखित नहीं है। नोटिस दिनांक 08.09.2017 से यह पूर्णतया साबित होता है कि अपीलांट को जारी नोटिस पूर्वनियोजित था जबकि वास्तविक रूप में अपीलांट को कोई नोटिस प्राप्त हुआ ही नहीं है। उक्त नोटिस पर किसी भी मौतबीर साक्षी के हस्ताक्षर व तामील कुनिन्दा की कोई रिपोर्ट नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मण्डावर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.10.2017 जो कि मात्र एक पेज की ऑर्डर सीट पर अंकित है उसमें पूर्व तारीख पेशी दिनांक 15.09.17 पर क्या कार्यवाही हुई उसका हवाला नही है ना ही उसकी कोई ऑर्डर सीट है तथा दिनांक 06.10.2017 जिसका कोई उनवान नहीं है जो सरकार बनाम... आगे खाली छोडा हुआ है। उक्त निर्णय विधि एवं न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप नहीं किया गया है। . यह है कि निर्णय दिनांक 06.10.17 नायब तहसीलदार मण्डावर द्वारा अपने निर्णय के छठे पैरे में पीडब्ल्यूडी की भूमि में पक्का निमार्ण करना बताया। जबकि नोटिस में फसल काश्त करना बताया है दोनों में कौनसा कथन सही है जो कि विरोधाभासी है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मण्डावर का निर्णय दिनांक 06.10.17 के अंतिम पैरा में 0.400 का 50 गुणा पैनल्टी अर्थात उक्त सम्पूर्ण खसरे का अतिक्रमी माना है, जबकि निर्णय के प्रारम्भ में 37.50 वर्ग फिट पर अतिक्रमी माना है इससे यह पूर्णतया साबित होता हे कि मनमाने अंदाज से तथ्यों का अंकन किया है जो विधि विरूद्ध एवं न्यायिक अनुरूप नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मण्डावर के निर्णय दिनांक 06.10.17 के अंतिम पैरा में कथन है कि फसल जप्ती, निलामी व बेदखली हेतु पटवारी हल्का को लिखा जावें जबकि पीडब्ल्यूडी की जमीन पर पक्का निमार्ण का आरोप पूर्व पैरा में लिखा गया है तो फसल किस भूमि पर और कहां उगाई गई थी एक तरफ पक्का निमार्ण और एक तरफ फसल काश्त दोनों ही कथन विरोधाभासी है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मण्डावर की पत्रावली में फसल जप्ती व निलामी की गई उसकी कोई रिपोर्ट संलग्न नहीं है। खसरा नम्बर 1614/1921 काफी बडा रकबा है जिस पर दोनों तरफ घनी आबादी बसी हुई है। अब प्रश्न यह उठता है कि रकबा 37.50 वर्गफिट किस दिशा में व कहां है। उक्त खसरा नम्बर का आज तक सीमाज्ञान नहीं किया गया है। यदि सीमाज्ञान करवा लिया जाता तो सही वास्तविक स्थिति तक पहुँचा जा सकता था। हाल जमाबंदी 2072 से 2077 के अनुसार खसरा नम्बर 1614/1921 रकबा 0.4400 है०, गैर मुमकिन आबादी में दर्ज है ऐसी स्थिति में आबादी भूमि में 91 की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। दिनांक 08.04.1988 को ग्राम पंचायत मण्डावर द्वारा विधिवत रूप से नियमानुसार पटवारी रिपोर्ट के आधार पर मौका देखा जाकर पट्टा जारी किया गया। तथा दिनांक 25.03.2003 को सब रजिस्ट्रार महुवा द्वारा प्रार्थी के उक्त पट्टे को रजिस्टर्ड किया गया। पटवारी रिपोर्ट हल्का अनुसार खसरा नम्बर–1614/1 में उक्त पट्टे की भूमि है जो आबादी भूमि है ऐसी दशा में प्रार्थी अपीलांट के विरूद्ध की गई 91 की कार्यवाही प्रभावहीन है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा के पारित निर्णय दिनांक 22.05.2024 के पैरा नम्बर–07 में उल्लेख किया है कि अपीलांट द्वारा पेश पट्टा 08–04–88 में खसरा नम्बर अंकित नहीं है यह निंविवाद सत्य है कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे में खसरा नम्बर अंकित नहीं होते हे केवल चारों तरफ की माप व कुल क्षेत्रफल अंकित होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी द्वारा पेश दस्तावेजों का सही से अवलोकन नहीं कर न्याालय द्वारा पारित निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जब किसी प्रकरण में कोई प्रार्थना पत्र पेश है जो निर्णय से पूर्व या निर्णय के बाद निर्णित किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी अपीलांट द्वारा दिनांक 12.06.2019 को अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा के समक्ष दस्तावेज तलब फरमाने का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई निर्णय दिया गया और ना ही अंतिम निर्णय में उसका कोई हवाला दिया गया है उक्त प्रार्थना पत्र न्यायहित में न्यायिक प्रक्रिया का भाग था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नजरअंदाज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

मण्डावर का निर्णय दिनांक 06.10.2017 एकपक्षीय था। प्रार्थी अपीलांट को इस प्रकरण में समुचित सुनवाई का या पक्ष रखने का कोई अवसर नहीं दिया गया। जो विधि सम्मत एवं न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप नहीं होने के कारण अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्तनीय है। अपीलांट व पीडब्ल्यूडी के मध्य पूर्व में कई प्रकरण हुए जिनमें 1. राजस्व अपील अधिकारी कोटा निर्णय दिनांक 02.09.1976 मिश्रीलाल बनाम पीडब्ल्यूडी, 2–रेवन्यू बोर्ड अजमेर सरकार बनाम मिश्रीलाल निर्णय दिनांक 31.12.1980, 3–अपर जिला एवं सैशन न्यायधीश हिण्डौन बनवारी लाल बनाम पीडब्ल्यूडी निर्णय दिनांक–20.09.1990, उक्त सभी निर्णयों पर अधीनस्थ न्यायालयों ने कोई गौर नहीं फरमाया। पीडब्ल्यूडी व अपीलांट के मध्य पूर्व निर्णयों व रंजीश के कारण अपीलांट के विरूद्ध 91 की कार्यवाही की गई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा का निर्णय दिनांक 22.05.2024 उनवानी प्रकरण बनवारी बनाम सरकार अपास्त फरमाया जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मण्डावर का निर्णय दिनांक 06.10.2017 निरस्त फरमाया जावें तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मण्डावर को यह आदेशित किया जावें कि अपीलार्थी को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

6. रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मंडावर, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 06.10.2017 द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध संवत 2074 में वाके ग्राम मंडावर तहसील मंडावर जिला दौसा की आराजी खसरा नम्बर 1614/1921 रकबा 37.509 वर्गफीट पी.डब्ल्यू.डी. की भूमि पर अतिक्रमण करने पर अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा भू राजस्व लगान दर 0.44 का 50 गुणा 22.10 रूपये पैनल्टी राशि के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा के यहां पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर नायब तहसीलदार मंडावर का निर्णय दिनांक 06.10.2017 निरस्त फरमाते हुए पत्रावली इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की गयी कि अपीलान्ट को पूर्ण सुनवाई व सबूत का मौका देकर पुनः विधिवत रूप से निर्णय पारित किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.05.2024 पारित किया गया है। जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत की गई। पटवारी हल्का ने अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मंडावर जिला दौसा के समक्ष एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की गई कि अपीलान्ट्स ने ग्राम मंडावर में आराजी खसरा नम्बर 1614/1921 रकबा 37.509 वर्गफीट पी0डब्ल्यू0डी0 की भूमि पर पर सम्वत 2074 फसल खरीफ में पक्का निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया है। अतिक्रमी द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अतिक्रमण किया है। प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त मण्डावर से जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। जिसकी विधिवत तामील करवाई गई है। अपीलांट वाद तामील अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार मंडावर में उपस्थित नहीं हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। ऐसी स्थिति में अधिवक्ता अपीलान्ट का यह कथन उचित नहीं है कि अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर नहीं दिया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में अतिक्रमी द्वारा पी.डब्ल्यू.डी. की भूमि खसरा नम्बर 1614/1921 रकबा 37.50 वर्गमीटर भूमि पर अतिचार किया जाना प्रमाणित है। पत्रावली में संलग्न ग्राम पंचायत मण्डावर द्वारा जारी पट्टा सं. 11 मिसल नम्बर 35 जो कि दिनांक 08.04.1988 को अपीलांट के पक्ष में जारी किया गया है का अवलोकन किया गया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

ग्राम पंचायत मण्डावर द्वारा जारी पट्टे में कोई खसरा नंबर का अंकन नहीं है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि अपीलांट को प्रश्नगत भूमि का ही पट्टा जारी किया गया है। उप तहसीलदार मण्डावर ने अपीलांट के प्रकरण को नियमन योग्य नहीं माना जाना विधिसम्मत निर्णय पारित कियां गया है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार अतिक्रमण किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है, जो विधिवत प्रतीत होता है। अपीलान्ट अतिक्रमी है, जबकि कानूनन राजकीय भूमि पर अतिक्रमण का अधिकार किसी को भी प्रदत्त नहीं है और यह कृत्य दण्डनीय है। ऐसे में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने की प्रवृति को रोकने एवं अंकुश लगाने के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार मंडावर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेशों में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य सबूत, तथ्य या दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे अपीलार्थीगण राजकीय भूमि पर अतिक्रमी साबित नहीं होता है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.05.2024 एवं अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार मंडावर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.10.2017 को यथावत रखा जाना न्यायोचित है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण की अपील सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.05.2024 एवं अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार मंडावर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.10.2017 को यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय दिनांक 15.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. सम्भागीय आयुक्त,
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जयपुर